

आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने

प्रलिस के लयि:

आपराधिक जाँच में आवाज़ के नमूने, [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#), [नजिता का अधकार](#) ।

मेन्स के लयि:

आपराधिक जाँच में आवाज़ पहचान तकनीक की वशिवसनीयता और सटीकता, न्यायालय में सबूत के रूप में आवाज़ के नमूने के उपयोग संबंधी कानूनी और नैतिक वचार ।

चरचा में क्यौं?

वर्ष 1984 के सखि वशिधी दंगों में कथति संलपितता के संबंध में हाल ही में एक राजनेता को एक वशिष भाषण की पुष्टि हेतु अपनी आवाज़ के नमूने प्रसतुत करने के लयि [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#) के समकष उपसथति होना पड़ा ।

- आवाज़ के नमूने **आपराधिक जाँच में महत्त्वपूर्ण स्रोत बन** गए हैं, जससे जाँचकर्त्ताओं को सबूतों की पुष्टि करने एवं संदगिधों की पहचान करने की अनुमत मिलती है ।

आवाज़ के नमूने प्राप्त् करने की प्रकरया:

■ प्रकरया:

- जाँच एजेंसयिों कसी व्यक्त्ती की आवाज़ का नमूना लेने के लयि न्यायालय की अनुमत लेती हैं । **आवाज़ का नमूना लेने का कार्य एक नयित्तरति और शोर-मुक्त वातावरण में कया जाता है ।**
- नमूना रकिर्ड करने के लयि वॉयस रकिर्डर का उपयोग कया जाता है जसमें संबद्ध व्यक्त्ती से **उसकेबयान के हसिसे के कसी वशिषिट शब्द को बोलने के लयि कहा जाता है जो पहले से ही साकष्य का हसिसा होता है ।**

■ तुलना की वधि:

- पाँच संदगिध लोगों और एक अज्जात आवाज़ के नमूने की तुलना की जाती है; वक्ता की पहचान के साथ ही दोनों आवाज़ के नमूनों की पुष्टि हो जाती है ।
- आवाज़ रकिर्ड करने हेतु अंतरराष्ट्रीय धवनयात्मक अकषरों का उपयोग कया जाता है जसमें वषिय के मूल कथन का केवल एक छोटा सा हसिसा (वशिलेषण में आसानी हेतु) उचचारति कया जाता है ।
- **भारत में आवाज़ का नमूना लेने की प्रकरया:**
 - भारतीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में आवाज़ के नमूने की **सेमी-ऑटोमैटिक स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धतिका उपयोग कया जाता है ।**
 - फोरेंसिक लेब जाँच एजेंसी को अंतमि रपौर्ट सौपती है, जसमें बताया जाता है क आवाज़ के नमूने के वशिलेषण के परणाम सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक ।
- हालाँकि कुछ देशों में स्वचालति पद्धतिका उपयोग कया जाता है, जसमें आवाज़ के नमूनों को संभावति अनुपात में वकिसति कया जाता है । इससे दकषता बढ़ती है ।

■ कमयिों:

- यद दवाओं के प्रभाव के कारण व्यक्त्ती की आवाज़ बदल जाती है या यद व्यक्त्ती सर्दी से पीड़ति है तो परणाम में **अशुद्ध उत्पन्न** हो सकती है ।
- इस नमूने की वशिवसनीयता वशिषज्ज द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और न्यायालय द्वारा इसका वशिलेषण करने के तरीके पर नरिभर करती है ।

आवाज़ के नमूने एकत्त्र करने की वैधता:

- वर्ष 2013 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या आवाज़ के नमूने एकत्र करना **आत्म-अभिशंसन के खिलाफ मौलिक अधिकार** अथवा नजिता के अधिकार का उल्लंघन होगा या नहीं।
- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (1)** DNA विश्लेषण अथवा शरीर की सामान्य जाँच के लिये नमूने एकत्र करने हेतु पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक चिकित्सक द्वारा आरोपी की जाँच या फरि "इस तरह के अन्य आवश्यक परीक्षण" की अनुमति देती है।
 - धारा 53 (1) में "ऐसे अन्य परीक्षण" वाक्यांश को आवाज़ के नमूनों के संग्रह को शामिल करने के समान है। हालाँकि अपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत आवाज़ के नमूनों के परीक्षण के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत नया तकनीकी साधन है।
 - वर्ष 2013 के मामले में एक खंडित फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं है।
- तीन न्यायाधीशों की बेंच की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाँच के लिये आवाज़ का नमूना एकत्र करने से अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।
 - इसने माना कि नजिता के अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसे सार्वजनिक हित में बदला जाना चाहिये।
 - हाल ही में वर्ष 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में यह भी पाया गया कि आवाज़ के नमूने उंगलियों के निशान एवं लिखावट से मिलते-जुलते हैं तथा कानून के अनुसार अनुमति के साथ एकत्र किये जाते हैं और पहले से एकत्र किये गए सबूतों की तुलना करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

नजिता का अधिकार:

- नजिता के अधिकार को **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ** 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में नजिता और उसके महत्त्व को बताया था कि नजिता का अधिकार एक मौलिक एवं अवच्छेद्य अधिकार है तथा उस व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी और उसके द्वारा चुने गए वकिलों को कवर करने वाले व्यक्ति को जोड़ता है।

पछिले मामले जहाँ आवाज़ के नमूने एकत्र किये गए:

- **भारत:**
 - आवश्यक वस्तु और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत एक विशेष अदालत ने फरवरी 2021 में **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** द्वारा दायर एक याचिका को अनुमति दी थी जिसमें अभिनिता सुशांत सहि राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स मामले में 33 अभियुक्तों की आवाज़ के नमूने एकत्र करने की मांग की गई थी।
- **अन्य देश:**
 - यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने पहली बार 1950 के दशक में वॉयस आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया था।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. फगिरप्रटि स्कैनगि के अलावा कसिी व्यक्तकी बायोमेट्रिकि पहचान में नमिनलखिति में से कसिका उपयोग कथिा जा सकता है? (2014)

1. आईरसि स्कैनगि
2. रेटनिल स्कैनगि
3. आवाज़ पहचान

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- बायोमेट्रिकि सत्यापन कोई भी माध्यम हो सकता है, जिसके द्वारा कसिी व्यक्तकी एक या अधिक विशिष्ट जैविक लक्षणों का मूल्यांकन करके

वशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।

- वशिष्ट पहचानों में उँगलियों के नशान, हाथ की ज्यामिति, ईयरलॉब ज्यामिति, रेटिना और आईरिस पैटर्न, आवाज़ तरंगें, डीएनए तथा हस्ताक्षर शामिल हैं। बॉयोमीट्रिक सत्यापन का सबसे पुराना रूप फगिरप्रटिगि है।
- बॉयोमीट्रिक पहचान के लिये दी गई सभी प्रक्रियाओं, अर्थात् आइरिस स्कैन, वॉयस रकिग्नशिन और रेटनिल स्कैनगि का उपयोग किया जा सकता है। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।
- अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/voice-samples-in-criminal-investigations>

